फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

ईश्वर सिंह बनाम प्रेमकुमार

नम्बर 15 /2022

किस्म मुकदमा 223 आरटीए

जीसीएमएस संख्या.....2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26–07–22	अभिभाषक अपीलांट् श्री राजेश कुमार व्यास उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03–08–2022 को पेश हो।	
03–08–22	अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके नाल बड़ी के खेत खसरा नम्बर 2260/274, 707 तादादी 2.74 हेक्टर भूमि अपीलांट् की खातेदारी भूमि जिसका मु.आम दिनांक 21–04–2022 को निहालसिंह को नियुक्त कर रखा है। अपीलांट् की एक संयुक्त खातेदारी भूमि अपीलांट् के पिता एवं उसके भाई के नाम से नाल बड़ी के खेत खसरा नम्बर 706 तादादी 0.02 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 707 तादादी 27.58 हेक्टर भूमि संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। जिसमें अपीलांट् के पिता का 1/2 हक व हिस्सा यानि 13.74 हेक्टर भूमि बनती है। उक्त भूमि पर अपीलांट् के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। अपीलांट् के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांट् के अतिरिक्त सुरजन सिंह के अन्य उत्तराधिकारीगण अपीलांट् एवं उसके भाई रमेश, भागसिंह, सत्यवान, चन्द्रमुखी, तथा माता चावली आदि वारिसान हुए। इसप्रकार उक्त भूमि में सुरजनसिंह के सभी वारिसान का 1/6–1/6 हक व हिस्सा बनता है। अपीलांट् की माता की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट् एवं अन्य वारिसान का वादग्रस्त भूमि में 1/5–1/5 हक व हिस्सा निहित हो गये। राज्य सरकार द्वारा उक्त समस्त भूमि 27.58 हेक्टर भूमि में से कुछ भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त कर ली गई। उक्त अवाप्तशुदा भूमि में से अपीलांट् के हिस्से की	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कृषि भूमि जो अवाप्त की गई है, वह अवाप्ति हिस्से से अधिक किये जाने के कारण उक्त गलत इन्द्राज को सही करवाने हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित किये बिना यह अभिलिखित किया गया है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना अपीलांट्स/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन को अस्वीकार करने में कानूनी त्रृटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जब यह तय किया जा चुका था कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट् के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपना विवेचन अंकित करते हुए उसे खारिज किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट् के अस्थाई निषेधाज्ञा पर किसी प्रकार का विवेचन अंकित किये बिना मात्र निवेदन को अस्वीकार करने का कथन किया जाना अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अर्थात धारा 212 आरटीए की मंशा के विपरीत की गई कार्यवाही है। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की मांग अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के माध्यम से की गई थी, जिसे अस्वीकार किया गया है। दौराने अपील यदि रेस्पोडेन्ट् अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न होंगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के नालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 2260/274, 707 तादादी 1.28 हेक्टर भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के नालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 2260/274, 707 तादादी 1.28 हेक्टर भूमि जोकि अपीलांट् खातेदारी भूमि है व जिस पर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् काबिज काश्त है। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त की सुरक्षा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट् का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन को अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन को अस्वीकार करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय किया जाना उचित है तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 12–08–2022 नियत की गई है। प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत के समक्ष दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विवेचन अंकित करते हुए निर्णय पारित करें। अपीलांट् को निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर आगामी नियत दिनांक को अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

3/8/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर